न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –143/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2025/171

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कन्हैयालाल (कानाराम पुत्र कनीयालाल) पुत्र रामकरण, जाति–खाती, निवासी–सोमणा, तहसील–डेह, जिला–नागौर		तहसीलदार, डेह जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्याम बारूपाल।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :–11.11.2025

1–अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार,डेह द्वारा प्रकरण संख्या 08/2025 अन्वान सरकार बनाम कन्हैयालाल उर्फ कानाराम प्रकरण दफा 91 एल.आर.एक्ट. में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2025 के विरूद्व पेश की हैं।

2–अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां उपस्थित हुवें।

3–वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि पटवारी हल्का सोमणा ने एक मिथ्या रिपोर्ट तहसील कार्यालय डेह में इस आशय की पेश की कि मौजा सोमणा के खसरा नं. 359 व 345 किस्म गे.मु. गोचर रकबा 3.5649 हैक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से गैर सायल ने कब्जा कर किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। जिस नोटिस की अपीलांट पर तामिल होने पर अपीलांट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सोमणा के खसरा नं. 359 व 345 पर कोई अतिक्रमण नहीं है यह भी निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 6/2025 में पूर्व में निर्णय पारित किया था व बेदखल कर दिया गया था, मौके पर आज दिन कोई कब्जा नहीं है,हमारे विरूद्व गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण की कार्यवाही करवाई है जिसे खारिज किया जावें। तत्पश्चात विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डेह ने बिना कोई अपने स्तर पर जांच किये व बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हुए केवल दबाव व प्रभाव में आकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर बेदखली, जुर्माना व तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 22.9.2025 को पारित कर दिया, आदेश जैर अपील कतेई गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ रेकर्ड व न्याय के सामान्य सिद्वांतों के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि पत्रावली के अवलोकन से साफ प्रकट है कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई ठोस सबूत पत्रावली पर नहीं है। प्रकरण में पेशी दिनांक 4.9.2025 की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार डेह ने कथित अतिक्रमण के संबंध में जांच के आदेश दिये व पटवारी हल्का सोमणा के बयान दिनांक 22.9.2025 को लिये गये, जिसने बयानो में यह बताया कि बेदखली आदेश दिनांक 18.6.2025 की पालना में अतिक्रमी कन्हैयालाल को दिनांक 1.7.2025 को मौके से बेदखल किया गया। इस प्रकार अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा/अतिक्रमण नहीं होते हुए भी उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान कर उसी दिन बिना आधार के निर्णय जैर अपील पारित करने व पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना व सजा से दण्डित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को न्यायालय में पटवारी हल्का से जिरह का भी कोई अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलांट का मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है या नहीं इस संबंध में तहसीलदार जी ने स्वयं के स्तर पर कोई जांच किये बिना अत्यंत ही जल्दबाजी में उसी दिन इस तरह का निर्णय पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है। निर्णय जैर अपील पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विरोधाभाषी कथन दर्ज करते हुए पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है। क्योंकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश कर निवेदन कर दिया था कि उसका कोई कब्जा नहीं है व इस बाबत शपथ पत्र भी पेश करने को तैयार था इसके बावजुद केवल कारावास से दण्डित करने के लिए दबाव प्रभाव में आकर निर्णय पारित किया है। इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.09.2025 खारिज फरमाया जावें।

4. राजपैरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि पटवारी हल्का ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमी दर्ज करते हुए अपीलांट के विरूद्ध रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए ही निर्णय पारित किया हैं,जो निर्णय विधिवत पारित किया गया हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2025 को निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी(अपीलांट) को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह का सिविल कारावास और लगान का 50 गुणा जुर्माना रूपये 954/– से दण्डित किया गया हैं साथ ही अतिचारी को मौके पर भौतिक रूप से बेदखल करने एवं खड़ी फसल को निलाम करने हेतु भू0अभि0निरीक्षक डेह व पटवारी हल्का सोमणा को लिखा जाने एवं सिविल कारावास की सजा की पालना हेतु थानाधिकारी रोल के नाम वांरट जारी होने के आदेश दिये हैं।

प्रस्तुत प्रकरण एवं बहस में वकील अपीलांट ने मुख्य रूप से यह निवेदन किया हैं कि मेरे द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा लिया गया तथा वर्तमान में उनका कोई अतिक्रमण नहीं हैं। इसके सम्बन्ध में हमने न्यायालय में शपथ–पत्र भी पेश कर दिया हैं। इसलिए उनके विरूद्ध पारित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें। पत्रावली के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.09.2025 की पालना में फसल को दिनांक 23.09.2025 को कुर्क किया गया हैं, जिसकी फर्द कुर्की संलग्न पत्रावली हैं। कुर्क सुदा फसल को दिनांक 03.10.2025 को निलाम भी किया जा चुका हैं, फर्द निलामी दिनांक 03.10.2025 संलग्न पत्रावली हैं। उक्त निलामी के आदेश कमांक/1458 दिनांक 06.10.2025 से स्वीकृति भी जारी हो चुकी हैं। इस प्रकार इन तमाम दस्तावेज एवं कार्यवाही से यह तो साबित हैं कि अपीलांट का वर्तमान में कब्जा नहीं रहा हैं तथा इस सम्बन्ध में अपीलांट ने न्यायालय में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से वर्तमान में अपीलांट का कब्जा एवं अतिकमण नहीं होने से अपीलांट के विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश कठोर आदेश की श्रेणी का होने से इस आदेश में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.09.2025 में आंशिक संशोधन किया जाकर गैर सायल को तीनमाह सिविल कारावास से दण्डित हद तक आदेश को निरस्त किया जाता हैं तथा इस आदेश से थानाधिकारी रोल द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को निरस्त किया जाता हैं। बकाया निर्णय दिनांक 22.09.2025 बेदखली/फसल निलामी/जुर्माना से सम्बन्धित आदेश यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर